

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 72]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 फरवरी 2021—माघ 29, शक 1942

पशुपालन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2021

क्र. 574-474-2021-पैंतीस-1.—पशुओं में संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण तथा रोकथाम अधिनियम, 2009 (2009 का 27) धारा 6 की उपधारा (1) एवं धारा 7 की उपधारा (1) एवं (2) के प्रावधानों के तहत जिला झाबुआ, मंदसौर, हरदा, रायसेन में एवियन इन्फ्लूएन्जा रोग के उद्भेद के कारण रोग के बचाव, नियंत्रण एवं उन्मूलन हेतु राज्य सरकार एतद्वारा राज्य के, जिला झाबुआ के विकासखण्ड थांदला के ग्राम रूंदीपाडा-सेनेटाइजेशन तिथि 14 जनवरी 2021, जिला मंदसौर के विकासखण्ड सीतामउ के ग्राम खेड़ा—सेनेटाइजेशन तिथि 18 जनवरी 2021, जिला हरदा के तहसील रहटगाँव के ग्राम रहटगाँव—सेनेटाइजेशन तिथि 19 जनवरी 2021, जिला रायसेन के विकासखण्ड गैरतगंज के ग्राम खमरिया गढ़ी—सेनेटाइजेशन तिथि 24 जनवरी 2021, एवं इनकी 10 कि. मी. की परिधि में आने वाले क्षेत्र को पक्षी प्रजाति के पशुओं हेतु नियंत्रित क्षेत्र (controlled Area) घोषित करती है. परिणाम स्वरूप पक्षी प्रजाति के सभी पक्षियों के एवं उनकी 10 कि. मी. की परिधि में आने वाले क्षेत्र में आवागमन को प्रतिबंधित करती है, साथ ही इनकी मेले, प्रदर्शनी, खेलकूद एवं एकत्रीकरण को सेनेटाइजेशन तिथि से 03 माह की अवधि तक प्रतिबंधित करती है.

No. 574-474-2021-XXXV-1.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 read with sub section (1) and (2) of Section 7 of the Prevention and Control of Infectious and Contagious diseases in Animals Act 2009 (no. 27 of 2009), the Govt. of Madhya Pradesh hereby declares the Village Rundipada Block Thandla District Jhabua sanitization date 14 January 2021, Village Khedha Block Sitamau District Mandsaur sanitization date 18 January 2021, Village Rehatgaon Block Rehangaoon District Harda sanitization date 19 January 2021, Village Khamariya Gadhi Block Gairatganj District Raisen sanitization date 24 January 2021, and area within 10 k.m. of its radius as "Controlled area" for avian species of animals to prevent and control and eradicate avian influenza disease and prohibits the movement of avian species from the place where they are kept to any other place within or outside the area and also prohibits the holding of fair, exhibition, games and gathering of such birds in this area for the period of three months from the date of sanitization.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जफ़ीर उद्दीन शोख, उपसचिव.